

30/01/20

पत्रावली पेश हुई। कपीलान्त व उनके  
वकील को बार बार काकाज लगवाए  
गए किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी  
स्थिति में कपील कपीलान्त 0-9-R.03CPC  
के तहत कदम हाजिरी व कदम पेशी में  
वारिज की जाती है। पत्रावली फॉलोन शुभ  
होकर वास नकमील दाद हो।

जिला कलेक्टर  
धरमपुर (राज०)

